## कर-राजस्व

### *निगम कर*

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया हैः

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) संग्रहण | 143574 | 158411 | 192680 |
| (ख) अधिभार | 12157 | 13413 | 16315 |
| (ग) शिक्षा अधिभार | 4672 | 5475 | 6334 |
| (घ) विविध प्राप्तियां | 7999 | 8826 | 11032 |
| **जोड़** | **168401** | **186125** | **226361** |

### *निगम-कर से भिन्न आय पर कर**

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया हैः

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) संग्रहण | 90198 | 107035 | 121737 |
| (ख) अधिभार* | 4727 | 7104 | 11803 |
| (ग) शिक्षा उपकर | 2848 | 3108 | 3545 |
| (घ) विविध प्राप्तियां | 357 | 523 | 679 |
| (ड) अन्य कर (बैंकिंग नकद लेन-देन कर) | 645 | 550 | 550 |
| **जोड़** | **98774** | **118320** | **138314** |

* *इसमें अनुषंगी लाभ कर तथा प्रतिभूति लेन-देन कर की प्राप्तियां और बैंकिंग नकद लेन-देन कर शामिल हैं।*

### *धन कर*

उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा दिनांक 1.4.1993 से अर्थात् निर्धारण वर्ष 1993-94 से कतिपय निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था। शेयरों, बैंक में जमाराशियों, सावधि जमा राशियों, बॉण्डों और ऋण-पत्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर से धनकर हटा दिया गया था और यह केवल रिहायशी गृहों, फार्म हाऊस, शहरी भूमि, जेवरात, सोना-चांदी, मोटर कार, हवाई जहाज, नौकाओं, पोत आदि जैसी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के संबंध में ही लगाया जाता है। धनकर उस राशि, जिससे निवल धन राशि पंद्रह लाख रुपए से अधिक हो जाती है, के 1% की दर पर प्रभार्य है।

धन-कर के संबंध में 2008-2009 के बजट अनुमान में 325 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

**बकाया संग्रहण :** ब.अ. 2008-09 में 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बकाया प्रत्यक्ष कर संग्रहणों को शामिल किया गया है।

### *सीमा शुल्क*

2007-2008 के लिए सीमा शुल्क के संशोधित अनुमान 100766 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 98770 करोड़ रुपए है। 2008-09 के लिए बजट अनुमान 118930 करोड़ रुपए हैं।

अनुमानों का खण्ड-वार विवरण निम्नांकित हैं :

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2007-2008 | संशोधित 2007-2008 | बजट 2008-2009 |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **आयात शुल्क** | **94620** | **97691** | **115300** |
| | (क) बुनियादी शुल्क | 32445 | 33356 | 40240 |
| (ख) | अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) | 45925 | 46935 | 55395 |
| | (ग) विशेष सी.वी. सीमा शुल्क | 12795 | 13165 | 15540 |
| | (घ) मोटर स्प्रिट पर उपकर | 0 | 35 | 0 |
| | (ङ) हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर | 0 | 535 | 0 |
| | (च) मोटर स्प्रिट पर अधिभार | 0 | 105 | 0 |
| | (छ) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 605 | 625 | 660 |
| | (ज) शिक्षा उपकर | 1900 | 1955 | 2310 |
| | (झ) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर | 950 | 980 | 1155 |
| **(2)** | **निर्यात शुल्क** | **3200** | **1750** | **2065** |
| **(3)** | **निर्यात पर उपकर** | **115** | **445** | **525** |
| **(4)** | **अन्य प्राप्तियां** | **835** | **880** | **1040** |
| | **जोड़ (1+2+3+4)** | **98770** | **100766** | **118930** |

(i) **बुनियादी शुल्क :** बुनियादी सीमाशुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

(ii) **अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) :** अतिरिक्त सीमाशुल्क, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत लगया जाता है, जो कि घरेलू रूप से विनिर्मित ऐसी वस्तुओं पर प्रभार्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सेनवैट दर को 01.03.2008 से 16% से घटाकर 14% किया जा रहा है।

(iii) **विशेष सी.वी. शुल्क :** विशेष सी.वी.शुल्क सभी आयातित वस्तुओं पर, जिसके कुछ अपवाद हैं, 4% की दर से घरेलू लेवी की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ लगायी जाती है।

(iv) **मोटर स्प्रिट पर उपकर :** मोटर स्प्रिट पर उपकर वित्त अधिनियम (संख्या 2), 1998 द्वारा लगाया जाता है।

(v) **हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर :** हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा लगाया जाता है।

(vi) **मोटर स्प्रिट पर अधिभार :** वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा सीवीडी के रूप में मोटर स्प्रिट पर अधिभार लगाया जाता है।

(vii) **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** यह शुल्क आयातित पेट्रोलियम कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 134 के अंतर्गत लगाया गया था। यह कर मोटर कार, आयातित बहु-उपयोगी वाहनों पालिस्टर फिलामेंट यार्न तथा दुपहियों पर भी लगाया जाता है।

(viii) **शिक्षा उपकर :** शिक्षा उपकर समग्र सीमाशुल्क की राशि पर (धारा 8ख तथा 8ग के अंतर्गत सुरक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत सी.वी.डी. तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अंतर्गत डंपिंग-रोधी शुल्क को छोड़कर) 2% की दर से लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत निश्चित दरों पर सीमाशुल्क के अंतर्गत आने वाली मदों को इस उपकर से छूट दी गयी है। इस वर्ष से यह कर पालिस्टर फिलामेंट यार्न से हटा दिया गया और 1% की दर से मोबाइल फोन पर लगया गया है।

(ix) **माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** समग्र सीमाशुल्क की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा।

(x) **निर्यात शुल्क :** निर्यात शुल्क लोह और क्रोमियम के अयस्क और संकेन्द्रण पर लगाया जाता है।

(xi) **बकाया संग्रहण :** सं.अ. 2007-08 और ब.अ. 2008-09 में प्रत्येक वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपए राशि के बकाए सीमाशुल्क को शामिल किया गया है।

### *संघ उत्पाद शुल्क*

2007-08 के संघ उत्पाद शुल्क का संशोधित अनुमान 127947 करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान 130220 करोड़ रुपए है।

2008-09 के लिए बजट अनुमान 137874 करोड़ रुपए है।

अनुमानों का संघटन नीचे दर्शाया गया है।

*(करोड़ रुपए)*

| | | बजट 2007-2008 | संशोधित 2007-2008 | बजट 2008-2009 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर | 92728 | 90934 | 98880 |
| 2. | मोटर स्प्रिट पर उपकर | 2630 | 2750 | 2860 |
| 3. | हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर | 10200 | 10375 | 10790 |
| | **जोड़ (1+2+3)** | **105558** | 104059 | 112530 |
| 4. | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 2140 | 1990 | 2120 |
| 5. | मोटर स्प्रिट पर अधिभार | 7890 | 8250 | 8580 |
| 6. | पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार | 850 | 755 | 815 |
| 7. | निम्नलिखित द्वारा प्रशासित उपकर | | | |
| | (i) **राजस्व विभाग** | **12605** | **11655** | **12565** |
| | (क) शिक्षा उपकर | 2507 | 2460 | 2655 |
| | (ख) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर | 1253 | 1230 | 1325 |
| | (ग) अन्य | 8845 | 7965 | 8585 |
| | (ii) **अन्य विभागों द्वारा*** | **1177** | **1238** | **1264** |
| | ***कुल उपकर (i+ii)*** | ***13782*** | ***12893*** | ***13829*** |
| | ***जोड़ (1+2+3+4+5+6+7)*** | ***130220*** | ***127947*** | ***137874*** |

**1. बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क :** बुनियादी उत्पाद शुल्क विशेष उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 द्वारा प्रभार्य हैं। बजट 2008-09 में सेन वैट दर 01.03.08 से 16% से घटाकर 14% कर दी गई है।

**2. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि :** वित्त अधिनियम, 2001 के अनुसार पान मसाले और कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क लगाया गया था। वित्त विधेयक, 2003 ने यह लेवी निम्न तक विस्तारित की हैः

(क) पालिएस्टर फिलामेंट धागा, मोटर कार, दुपहिया और बहुपयोगी वाहनों पर 1% की दर से; और

(ख) कच्चे पैट्रोलियम तेल पर 50 रुपए प्रति मी. टन की दर से।

इस वर्ष के बजट में एनसीसीडी पालिएस्टर फिलामेंट धागे से हटा दी गई हैं और 1% की दर से मोबाइल क्षेत्र पर लगाई गई है।

**3. शिक्षा उपकर :** शिक्षा उपकर सकल उत्पाद शुल्कों पर 2% की दर पर लगाया जाता है।

**4. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर लगाना है।

**5. मोटर स्प्रिट पर उपकर :** वित्त अधिनियम (संख्या 2) 1998 द्वारा मोटर स्प्रिट पर उपकर प्रभार्य है।

**6. हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर :** वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर प्रभार्य है।

**7. मोटर स्प्रिट पर अधिभार :** वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा मोटर स्प्रिट पर अधिभार प्रभार्य है।

**8. पान मसाले और तंबाकू उत्पादों पर अधिभार :** वर्ष 2005-06 के बजट में निर्दिष्टानुसार सिगरेट, पान मसाले और कतिपय तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। बीड़ी पर यह नहीं लगेगा।

**9. बकाया संग्रहण :** सं.अ. 2007-08 और ब.अ. 2008-09 मे केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के बकाया के संग्रहण के रूप में क्रमशः 1550 करोड़ रुपए और 1300 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

* ***अन्य विभागों** द्वारा प्रशासित उपकरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कोयला और कोक | 435.00 | 435.00 | 450.00 |
| 2. | नमक | 3.50 | 2.65 | 2.97 |
| 3. | रबड़ | 98.00 | 98.00 | 100.00 |
| 4. | अभ्रक | 2.50 | 3.50 | 3.50 |
| 5. | लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोमअयस्क | 19.00 | 21.50 | 21.50 |
| 6. | लाइम स्टोन व डोलोमाइट | 20.00 | 22.50 | 22.50 |
| 7. | सिने निर्माण कार्य | 1.50 | 1.55 | 2.00 |
| 8. | प्रदुषण (वायु एवं जल) से बचाव व नियंत्रण | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 9. | अनुसंधान और विकास | 185.00 | 244.35 | 248.00 |
| 10. | बीड़ी निधि | 230.00 | 226.00 | 230.00 |
| 11. | अन्य लेखों के अन्तर्गत उपकर | 2.50 | 3.25 | 3.25 |
| | **जोड़** | **1177.00** | **1238.30** | **1263.72** |

## *सेवा कर*

50200 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2007-2008 का संशोधित अनुमान 50603 करोड़ रुपए रखा गया है।

वर्ष 2008-2009 का बजट अनुमान 64460 करोड़ रुपए है।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर क्रमशः 2% की और 1% की दर पर प्रभार्य है।

सेवा कर के बकाया संग्रहण के रूप में 2007-08 के संशोधित बजट अनुमान मे 1050 करोड़ रुपए और बजट अनुमान 2008-09 में 1000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

***संघ राज्य क्षेत्रों के कर***

ये प्राप्तियां विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

*(करोड़ रुपए)*

| | बजट 2007-2008 | संशोधित 2007-2008 | बजट 2008-2009 |
|---|---|---|---|
| भू-राजस्व | 2.14 | 2.53 | 2.66 |
| स्टाम्प और पंजीकरण | 77.76 | 81.97 | 86.14 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 180.50 | 165.70 | 180.80 |
| बिक्री कर | 915.02 | 1014.37 | 1105.06 |
| वाहनों पर कर | 242.30 | 44.50 | 50.60 |
| सामान और यात्रियों पर कर | 6.00 | 4.70 | 4.80 |
| बिजली पर कर और शुल्क | 13.00 | 13.00 | 13.50 |
| अन्य कर और शुल्क | 5.73 | 7.13 | 7.33 |
| **जोड़** | **1442.45** | **1333.90** | **1450.89** |

***कर राजस्व का बकाया***

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में प्रमुख करों के संबंध में जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व संबंधी प्रकटन विवरण अनुबंध 10 में दिया गया है।

***परिव्यक्त कर राजस्व के संबंध में विवरण***

केंद्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर व्यय का विवरण भी पहली बार 2006-07 के बजट में शुरू किया गया है। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए यह विवरण अनुबंध 12 पर है।